भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
E-3/240 अरेरा कालोनी, Arera Colony
भोपाल Bhopal-462016, (म. प्र.) M. P.
दूरभाष : 466525, 465496, 465054
तार/Telegram : CENTFOREST
फैक्स/Tele Fax : 0755-463102
E-mail : rccfwr @ bom6. vsnl. net. in

क्रमांक: 8बी/2/95-एफसीडब्ल्यू/ 181. दि० 21-1-2002

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: गुना जिले कुवरपुरा तलाब के निर्माण हेतु 1.950 है0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8बी/2/95-एफसीडब्ल्यू/305 दिनांक 07.03.1995.
2. कार्य0मु0व0सं0(भु-सर्वे)म0प्र0 भोपाल पत्रांक 94/10/सिंचाई /21/42/2405 दिनांक 22.10.2001

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/89/94/10/3 दिनांक 04.01.1995 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

इस संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त वन भूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा राज्य सरकार ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर गुना जिले कुवरपुरा तलाब के निर्माण हेतु 1.950 है0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को वनेतर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.अ. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर ग्राम कुड़ईमार सर्वे नं0 98 रकबा 19.150 में से शेष रकबे के 1.950 है0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस आदेश के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जायेगा ।

ब. इस गैर वनभूमि को संरक्षित/आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

3. परियोजना के समीप वानिकी गतिविधियों/कियाकलापों के लिये बिना लागत पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।
4. परियोजना प्राधिकारियों के द्वारा परियोजना की लागत पर नहर के किनारे वृक्षारोपण कराया जायेगा

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

6. राज्य सरकार द्वारा लगाई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,
26/2/11
(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, गुना (म0प्र0) ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, राघोगढ़, जिला-गुना (म0प्र0) ।
5. आदेश पत्रावली ।

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

दिनक/2